न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

II/निगरानी/सिंगरौली/भू.रा.सं./2017/4671

स्वामीशरण साह पुत्र श्री छोटई साह, निवासी – ग्राम कंजी, तहसील व जिला सिगरौली· (म0प्र0)

—— आवेदक

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार साह पुत्र स्व0 वंशपति साह
2. भागवत प्रसाद साह पुत्र स्व0 कुईस साह निवासीगण – ग्राम कंजी, तहसील व जिला सिगरौली (म0प्र0)

—— अनावेदकगण

27-11-17

पेशी 18-12-17

18-12-17

27-11-17
K. K. Dwivedi

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.10.2017 पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त खुटार, तहसील व जिला सिगरौली के प्रकरण क्रमांक 43/अ–6/2016–17

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 नरेन्द्र कुमार साह द्वारा एक आवेदन पत्र नायब तहसीलदार, वृत्त खुटार, तहसील व जिला सिंगरौली के समक्ष नामान्तरण हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम कंजी में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 364 रकवा 0.070 हैक्टेयर, 365 रकवा 0.050 हैक्टेयर के अंश भाग क्रमशः 0.035 एवं 0.025 हैक्टेयर, कुल रकवा 0.060 हैक्टेयर विक्रेता भगवत प्रसाद पुत्र स्व0 श्री कुईस द्वारा विक्रय की गयी है को अनावेदंक क्रमांक 1 के नाम नामांतरण किया जाये।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–दो / निगरानी / सिंगरौली / भू.रा. / 2017 / 4671

स्वामीशरण साह विरूद्ध नरेन्द्र कुमार साह व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त खुटार, तहसील व जिला–सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 43 / अ–6 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 25–10–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 03–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 5/3/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	